

## बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक 200/अकादमी शाखा (पात्रता)/2022

भोपाल दिनांक 14/07/2022

### संशोधित अधिसूचना:-

समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यगणों को सूचित किया जाता है कि म0प्र0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक 378/251/आउशि/संबद्धता भोपाल दिनांक 26.06.2022 के द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) में प्रवेश समय सारणी के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. 196/अकादमी शाखा पात्रता/2022 दिनांक 26.05.2022 एवं संशोधित अधिसूचना क्र. 198/अकादमी शाखा पात्रता दिनांक 04.06.2022 में अंशिक संशोधन करते हुये निम्नानुसार शुल्क सहित तिथि निर्धारित की जाती है:-

| स0क्रमांक | दिनांक का विवरण             | सामान्य शुल्क | विलम्ब शुल्क | कुल राशि     |
|-----------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 01        | 04/06/2022 से 31/07/2022 तक | रुपये 300/-   | -            | रुपये 300/-  |
| 02        | 01/08/2022 से 15/08/2022 तक | रुपये 300/-   | रुपये 300/-  | रुपये 600/-  |
| 03        | 16/08/2022 से 31/08/2022 तक | रुपये 300/-   | रुपये 600/-  | रुपये 900/-  |
| 04        | 01/09/2022 से 30/09/2022 तक | रुपये 300/-   | रुपये 1000/- | रुपये 1300/- |

पात्रता प्रमाण पत्र का आवेदन वि0वि0 की वेबसाइट [WWW.bubhopal.ac.in](http://WWW.bubhopal.ac.in) पर आन लाईन भरना होगा। समस्त दस्तावेज प्राचार्य द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य है, तत्पश्चात् इसकी हार्डकापी (Hard Copy) के साथ अपने मूल प्रमाण पत्र, पात्रता शाखा में 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर सत्यापन कराना होगा, इसके पश्चात ही पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। समय से पात्रता आवेदन पत्र वि0वि0 में जमा न करने पर, जमा करने की दिनांक पर जो भी विलम्ब शुल्क चल रहा होगा, वह देय होगा।

- नोट:-
1. पात्रता आवेदन पत्र के साथ आवंटित महाविद्यालय का पत्र, एवं 10 वीं, 12 वीं तथा स्नातक पास की अंकसूची लगाना अनिवार्य है।
  2. मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी आवेदक जिन्होंने मध्यप्रदेश राज्य से सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई./एम.पी.बोर्ड से मुक्त बोर्ड (Open Board) एम.पी.बोर्ड/पोर्टल पर प्रदर्शित मान्य बोर्ड से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिये किसी भी विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल सहित म.प्र. के समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालयों उत्तीर्ण विद्यार्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र से छूट रहेगी।
  3. अन्य राज्यों से 12वीं उत्तीर्ण (10+2) विद्यार्थियों को नियमानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल